

## आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एक 23(79)लेखा/आकाशि/रा.सं.पोर्टल/2022-23/789

दिनांक- 02/08/2022

समस्त प्राचार्य/जिला नोडल अधिकारी,  
राजकीय महाविद्यालय राजस्थान

### परिपत्र

विषय - राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर शिकायतों के निराकरण बाबत।

सन्दर्भ:- आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर का यू.ओ.नोट क्रमांक एक 1( )प्रश्ना/आकाशि/  
राजस्थान सम्पर्क/2022/3224 दिनांक 25.07.2022

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के द्वारा निम्नानुसार छात्रवृत्तियों का संचालन ऑनलाइन किया  
जाता है :-

1. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना
2. देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना
3. कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना
4. विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड) सम्बल योजना

प्रायः ध्यान में आया है कि आपके स्तर पर सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण  
निर्धारित समयावधि में नहीं किया जाता है। जिसके कारण सम्पर्क पोर्टल की शिकायतें अपने उच्च स्तर  
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा को स्वतः हस्तांतरित हो जाती है।

उपर्युक्त योजनाओं के अलावा अन्य विभागों (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अन्य  
विभाग, अल्पसंख्यक विभाग, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग आदि) द्वारा संचालित मुख्यनंत्री तर्जन  
उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, अनुप्रति योजना और उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना आदि से संबंधित  
शिकायतों को आपके स्तर से सम्बन्धित विभाग को हस्तांतरित करे।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 08.06.2022 को जारी कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना  
वर्ष 2020-21 की स्थाई वरीयता सूची के सम्बन्ध में सम्पर्क पोर्टल पर शिकायतें आपके स्तर पर लम्बित  
हैं। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त शिकायतों का निस्तारण कालीबाई भील मेधावी छात्रा  
स्कूटी योजना नियम 2020 का अवलोकन करते हुए नियमानुसार सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों को  
निर्धारित समयावधि में आवश्यक कार्यवाही करते हुए अविलम्ब निस्तारित करें।

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के सम्बन्ध में बिल बनाने एवं भुगतान संबंधी समस्त  
कार्यवाही नोडल महाविद्यालय स्तर से की जाती है। अतः उक्त छात्रवृत्ति से सम्बन्धित सम्पर्क पोर्टल पर  
प्राप्त शिकायतों का निस्तारण विद्यार्थियों से दुरभाष पर वार्ता करते हुए परिवादी की समस्या का  
निस्तारण नोडल महाविद्यालय से ही किया जावे।

शिकायतों की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि सम्पर्क पोर्टल  
को महाविद्यालय स्तर पर प्रतिदिन खोलकर प्राप्त शिकायत का अपने स्तर पर निस्तारण की कार्यवाही  
करे एवं नोडल महाविद्यालय अपने जिला स्तर पर सभी महाविद्यालय को सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त  
शिकायतों के अविलम्ब निस्तारण हेतु निर्देशित करे, यदि आपके स्तर पर कोई लापरवाही बरती गयी और  
निर्धारित समयावधि में शिकायत का निराकरण नहीं करके आयुक्तालय को हस्तांतरण किया गया तो  
आयुक्तालय द्वारा संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अगले में लायी जाएगी।

क्रमांक एक 23(79)लेखा/आकाशि/रा.सं.पोर्टल/2022-23/790

वित्तीय सलाहकार  
कॉलेज शिक्षा, जयपुर  
दिनांक- 02/08/2022

प्रतिलिपि:- आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रभारी, वेबसाइट को अपलोड किये जाने हेतु।

वित्तीय सलाहकार